न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकाहनुमानगढ

ठासीन अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS

ादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

ाकरण संख्याः- 434/2025

1 बक्शीशसिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2 बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज निवासी हनुमानगढ जश्क्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3 सुच्चा सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति कम्बोज निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-:वादीगण

बनाम्

1 सुखविन्द्रकौर पत्नी स्व0 श्री केहर सिंह जाति कम्बोज निवासी हनुमानगढ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ

-:प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1 श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता - वादीगण
2 श्री मदन मूण्ड अधिवक्ता - प्रतिवादी सं. 1
3 राजपैरोकार - प्रतिवादी सं. 2

-:निर्णयः-

दिनांक 15.09.2025

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 41 एनजीसी जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 15/11 के प.न. 143/245 (23) किला नं0 14, 15/1/.228, 15/2/.025, प.नं. 144/244 (3) किला नं0 4/3/.015, 7/3/.016, प.नं. 144/245 (22) किला नं0 11 कुल .790 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार इसी चक के खाता संख्या 14/35 के प.नं. 144/244 (3) किला नं0 14/1/.095, 17, 18, 23, 24 व पं.नं. 144/245 (22) किला नं0 3, 4, 7, 8 कुल 2.119 हैक्टयर कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 11 एचएमएच जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 99/9 के प.नं. 147/259 (7) किला नं0 3, 4, 5/1/.228, 5/2/.025, प.नं. 148/258 (3) किला नं0 22 से 24, 25/1/.228, 25/2/.025 व प.नं0 148/259 (8) किला नं0 1 से 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7, 8 कुल 3.795 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला-रास्ता मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी का 3.036 हैक्टयर अर्थात 12 बीघा भूमि का हक व अधिकार है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि तहसील हनुमानगढ के चक 11 एचएमएच जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या 39/32 के प.नं. 148/258 (3) किला नं0 2 से 4 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 से 9, 12 से 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.

025, 17 से 21 कुल 4.554 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन खाला-रास्ता मुश्तरका खाता में दर्ज है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी का 0.506 हैक्टयर अर्थात 2 बीघा भूमि का हक व अधिकार है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वादीगण व प्रतिवादी के नाम दर्ज कुल भूमि उनकी स्वयंपैदाकर्दा सम्पति न होकर वादीगण के पिता व प्रतिवादीया के पति स्व0 श्री केहर सिंह की मृत्यु के बाद विरास्तन प्राप्त सम्पति है व विरास्तन सम्पति होने के कारण प्रतिवादीया ने अपना मिलने वाला हक विरास्तन अर्सा दराज पूर्व वादीगण के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग किया हुआ है इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वादीगण व प्रतिवादीया के नाम दर्ज कुल भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर अर्थात प्रत्येक 1/3-1/3 हिस्सा के हकदार खातेदार है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादीया के नाम दर्ज भूमि की सिंचाई सुविधा के लिए घराघरू बंटवारा किया हुआ है व उक्त बंटवारानामा मौका, प्रर लागू हो गया है व वादीगण के मध्य हुए घराघरू बंटवारा में चक 41 एन जी सी के खाता संख्या 14/35 में दर्ज कुल 2.119 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 15/11 में दर्ज कुल .790 हैक्टयर में से .284 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 बक्शीश सिंह व इस खाता की शेष .506 हैक्टयर भूमि के वादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर के हकदार है व चक 11 एच एम एच के खाता संख्या 99/9 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.036 हैक्टयर व इसी प्रकार खाता संख्या 39/32 में दर्ज .506 हैक्टयर भूमि के वादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादीगण ने प्रतिवादीया से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि वादीगण के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करती रही व आखिर गत् सप्ताह मुकाम हनुमानगढ जं0 तहसील व जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गयी यही बिनाये वाद है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 2 को इस आराजी का लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार मुकदमा बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नही चाहा गया व चक 11 एच एम एच के अन्य सहखातेदारान के खिलाफ कोई अनुतोष नही होने व वे आवश्यक पक्षकार नही होने से अन्य पक्षकार मुकदमा नही बनाया गया है।

यह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक व तकसीम खाता का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है, जो 2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावेः-

क) कि घोषणा फरमाई जावे कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 से 4 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज दोनो चकों की कुल भूमि में तहसील हनुमानगढ के चक 41 एनजीसी के खाता संख्या 14/35 में दर्ज कुल 2.119 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 15/11 में दर्ज कुल 0.790 हैक्टयर में से .284 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 बक्शीश सिंह व इस खाता सं0 15/11 की शेष 0.506 हैक्टयर भूमि के प0नं0 143/245(23) किला नं0 14 वादी संख्या 2 बलविन्द्रसिंह व किला नं0 15/1, 15/2 वादी संख्या 3 सुच्चासिंह को तथा चक 11 एचएमएच के खाता संख्या 99/9 में दर्ज कुल 3.036 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 39/32 में दर्ज .506 हैक्टयर भूमि के वादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर के

हकदार खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ने दावा में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से तनकीयात कायम नही की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई जिन्होने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद पत्र मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। उभय पक्ष द्वारा दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 41 एनजीसी के खाता संख्या 14/35 में दर्ज कुल 2.119 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 15/11 में दर्ज कुल .790 हैक्टयर में से 0.284 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी संख्या 1 बक्शीश सिंह व इस खाता सं0 15/11 की शेष .506 हैक्टयर भूमि के प.न. 143/245(23) कि.न. 14 वादी संख्या 2 बलविन्द्रसिंह व किला नं0 15/1, 15/2 वादी संख्या 3 सुच्चासिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चक 11 एचएमएच के खाता संख्या 99/9 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज कुल 3.036 हैक्टयर व इसी चक के खाता संख्या 39/32 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज .506 हैक्टयर भूमि के वादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

नोटः- रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ